म

17/5/26

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार किया
जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर सुनाया गया। पत्रा० फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 18/2025

किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 17.04.2026

1. मुन्नी पत्नि फत्तेसिंह जाति जाटव निवासी लुलहारा तहसील नदबई।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
2. घनश्याम पुत्र घीसी जाति जाट निवासी लुलहारा तहसील नदबई
3. अशोक कुमार पुत्र कलुआ जाति जाट निवासी लुलहारा तहसील नदबई
4. लच्छो पत्नि श्रीलाल जाति जाटव निवासी लुलहारा तहसील नदबई

अप्राथीगण

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री रामकिशन पूनिया एडवोकेट प्रार्थी की तरफ से
2. श्री जगदीश चन्द एडवोकेट अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से

सत्यमेव जयते

:: **निर्णय** :: प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्र्तगत धारा 128 एलआरए के तहत पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है –

1. यह है कि आराजी खसरा न. 615 रकवा 0.31 हैक्ट. वाके ग्राम लुलहारा तहसील नदबई में स्थित है जिसकी प्रार्थीया 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड है।

2. यह है कि खसरा नं. 615 से खसरा नं. 617 अप्रार्थी सं. 03 व खसरा नं. 618 अप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा लगाा हुआ है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 उच्च

जाति के लोग है व सवल वर्ग से हैं। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया के आराजी खसरा नं. 615 के 1/3 हिस्सा में अतिक्रमण कर डौर मैंढ तोड देते हैं। तथा परेशान करते हैं। जिससे परेशान होकर प्राथ्र्ीरू ने आप्रार्थी सं. 04 के सहयोग से दिनांक 16.04.2025 व दिनांक 23.05.2025 को दो बार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पैमाइश कराई जा चुकी है जिसमें निशानात कायम किये गये लेकिन अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने निशानात को मिटा दिया गया है। और झगडा फिसाद कने पर आमाद रहते हैं।

3. यह है कि मुताविक आदेश दिनांक 23.05.2025 श्रीमान तहसीलदार महोदय नदबई के आदेशानुसार उक्त रकवा में मुद्‌ढी गढी कराकर तार बन्दी करा दी जाये, तो प्रार्थीया को रिकॉर्ड के अनुसार अपना रकवा मिल जावेगा और आवारा पशुओं से होने वाला नुकसान भी रूक जावेगा।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 615 रकवा 0.31 हैक्ट. में प्रार्थीया के हिस्से में मुद्‌ढी गढाई कराई जाकर तारबन्द कराये जाने के आदेश प्रादान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से जगदीश चन्द अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं. 1 व 4 तमील बाबजूद उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी बकील को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाबजूद भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः इनका जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी संबत 2076—79 वाके ग्राम लुलहारा एवं प्रमाणित प्रतिलिपि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 23.05.2025 बाबत खसरा नं0 615 वाके ग्राम लुलहारा पेश किये गये।

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. के तहत सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा न. 615 रकवा 0.31 हैक्ट. वाके ग्राम लुलहारा तहसील नदबई में स्थित है जिसमें प्रार्थीया 1/3 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा न. 615 रकवा 0.31 हैक्ट. वाके ग्राम लुलहारा का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2025 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 23.05.2025 का

अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट बाबत् पैमाईश करवाकर सीमा चिन्हित कर मुड्डी गढाई स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 128 एलआर एक्ट स्वीकार करते हुये धारा 111 के अधिकारों का उपयोग करते हुये तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है कि आप विवादित आराजी खसरा न. 615 रकवा 0.31 हैक्ट. वाके ग्राम लुलहारा तहसील नदबई की आराजीयात से लगते हुए समस्त काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्व में सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पैमाइश कर पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते